an>

Title: Issue regarding corruption involved in scheme for pregnant women in Maharashtra.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों में केन्द्र पुरस्कृत योजना एच.आर. के माध्यम से 0 से 6 वर्षों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार दिया जाता है। उसमें जो टी.एच.आर. आता है, वह खाने के योग्य नहीं होता है। उसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनायी है। उस कमेटी के आधार पर कहा गया है कि वह निकृष्ट दर्जे का है। हाल ही में जो रिपोर्ट आयी है कि पूरे महाराष्ट्र में गर्भवती महिलाओं के मृत्यु के आंकड़े बढ़े हैं और कुपोषित बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और उनके मृत्यु के आंकड़े भी बढ़ गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि यह केन्द्र पुरस्कृत योजना है, उसके खाने योग्य न होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में उसे 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है। इस संबंध में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यह सरकार से मेरी मांग है।